भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2730
दिनांक 16 **मार्च**, 2023

एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित दुर्घटनाएं

†2730 **श्री दिलीप शइकीया:**
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित दुर्घटनाओं का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं की कंपनी-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसी दुर्घटनाओं और गैस पाइपों में रिसाव को रोकने के लिए कोई सुरक्षा उपाय तैयार/विकसित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर दुर्घटनाओं के मामलों से बचने के लिए ऐसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ.) क्या घरों में एलपीजी सिलेंडरों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर पचास लाख तक का दुर्घटना बीमा देने का कोई प्रावधान है; और

(च) यदि हां, तो एलपीजी सिलेंडरों के कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए अब तक कितने लोगों को बीमा राशि प्रदान की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख) एलपीजी के कारण रिपोर्ट की गई सभी दुर्घटनाओं की जाँच सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा की जाती है एवं विस्तृत विश्लेषण के बाद, दुर्घटनाओं के संभावित कारणों को सूचीबद्ध किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एलपीजी के कारण हुई दुर्घटनाओं का वर्ष वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	ओएमसीज
2017-18	618	186	347	1151
2018-19	445	196	342	983
2019-20	387	200	238	825
2020-21	556	216	247	1019
2021-22	302	140	164	606
2022-23 (अप्रैल, 2022- जनवरी, 2023)	239	152	147	538

स्रोत -ओएमसीज

(ग) और (घ) एलपीजी वितरकों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे एलपीजी कनेक्शन इंस्टॉल करने के सभी सुरक्षा मानदंडों को संतुष्टिपूर्वक पूर्ण करने के बाद एलपीजी कनेक्शन जारी करें। एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान, मानदंड और कदम उठाए गए हैं:-

(i) गैस सिलेंडर नियम, 2016 के तहत एलपीजी सिलिंडर, वाल्व और एलपीजी रेगुलेटर की निर्माण इकाइयों और इन उपकरणों के डिजाइन, भंडारण के लिए परिसर का लाइसेंस, सिलेंडर का परीक्षण और भरने आदि के लिए अनुमोदन विनियमित किया गया है।

(ii) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन), आदेश 2000 के तहत पीएमयूवाई लाभार्थियों सहित घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी सिलेंडरों के सुरक्षित उपयोग को प्रशासित किया जाता है।

(iii) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के मानदंडों के अनुसार एलपीजी सिलेंडरों की समय-समय पर सुरक्षा संबंधी जांच की जाती है।

(iv) एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय प्रत्येक पीएमयूवाई लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन से संबंधित 'क्या करें और क्या न करें' का चित्रमय लैमिनेटेड सुरक्षा कार्ड दिया जाता है। प्रशिक्षित मैकेनिक द्वारा ग्राहक के परिसर में एलपीजी कनेक्शन इंस्टॉल किया जाता है।

(v) एलपीजी संबंधी सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वितरक द्वारा सेफ्टी क्लिनिक का आयोजन किया जाता है। एलपीजी लीकेज की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के लिए चौबीस घंटों के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर (1906) की स्थापना करना।

(vi) ऑडियो-वीडियो/प्रिंट मीडिया, बैनर/होर्डिंग, लीफलेट, पैम्फलेट आदि के माध्यम से एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर जन जागरूकता कार्य मों का आयोजन करना।

(vii) पीएमयूवाई लाभार्थियों के बीच एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांवों में प्रधान मंत्री एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया जाना।

(ङ) और (च) 'तेल उद्योग की सार्वजनिक देयता नीति' के तहत ओएमसीज व्यापक बीमा पॉलिसी लेती हैं, जिसमें ओएमसीज के साथ पंजीकृत सभी एलपीजी उपभोक्ता शामिल होते हैं। ओएमसीज द्वारा ली गई सार्वजनिक देयता बीमा पॉलिसी में उन दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है जहां दुर्घटना का प्राथमिक कारण एलपीजी जनित आग होती है। वर्तमान में, इस नीति में निम्नलिखित कवर प्रदान किए जाते हैं:

(i) मृत्यु की दशा में, प्रति व्यक्ति 6,00,000/- रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना कवर।

(ii) 30 लाख रुपये का चिकित्सा व्यय सहित प्रत्येक दुर्घटना पर प्रति व्यक्ति अधिकतम 2,00,000/- रुपये का कवर।

(iii) संपत्ति हानि की दशा में, प्राधिकृत ग्राहक के पंजीकृत परिसर में प्रति दुर्घटना पर अधिकतम □2,00,000/- रुपए का कवर करता है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए दावों और भुगतान की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	निपटाए गए दावे	भुगतान की गई राशि (करोड़ रुपए में)
2019-20	793	24.09
2020-21	815	19.63
2021-22	489	16.60
2022-23 (अप्रैल, 2022-जनवरी, 2023)	187	7.30

स्रोत - ओएमसीज

****